न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—291/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/291)

1. बद्री पुत्र श्री मंगलाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम चकमियांरामपुरा तहसील पीपलू, जिला टोंक राज0 हाल निवासी वार्ड नम्बर 16 बैरवा कॉलोनी, रेलवे लाईन के पास टोलटेक्स सांगानेर, जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र श्री मंगलाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम चकमियांरामपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक।
3. उप पंजीयक पीपलू जिला टोंक।
4. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा, शाखा पीपलू जिला टोंक।
5. ममता देवी पत्नि राकेश कुमार
6. रेखा कुमारी पुत्र रमेशचंद
7. मनीदेवी पत्नि रमेशचंद

समस्त बैरवा निवासी ग्राम अहमदगंज तहसील पीपलू जिला टोंक।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू राजस्व वाद संख्या 79/2020.

उपस्थितः—

1. श्री गिरीश शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अमित कसोटिया अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3
4. श्री जुगराम सैनी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7
5. रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—27.08.2025

1. यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा प्रकरण संख्या 79/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक से राजस्व मण्डल अजमेर के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र क्रमांक 245/2023 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2023 द्वारा स्थानांतरित होकर प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू द्वारा डिक्री फरमाया गया है, जिसके विरूद्ध अपीलांट की और से यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है जिसके तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने ग्राम चकमियांरामपुरा की कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 33, 6 कुल किता 2 कुल रकबा 2.1370 है0 भूमि व ग्राम मियांरामपुरा की कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 127, 144/3, 146, 171, 183 कुल किता 5 कुल रकबा 1.5173 है0 भूमि को लेकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू के समक्ष

प्रतिवाद/अपीलांट के विरूद्ध वाद बाबत उदघोषणा दुरूस्ती इंद्राज व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध कार्यवाही कर वाद वादी दिनांक 04.08.2021 को डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा प्रकरण संख्या 79/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी की जानकारी सर्वप्रथम विक्रय–पत्र की दिनांक को हुई है जब अपीलान्ट अपनी घरेलू आवश्यकता होने की वजह से ग्राम चकमियांरामपुरा की भूमि के बेचान की रजिस्ट्री करने गया तो उसे जमाबन्दी की नकल से वादी के नाम के अंकन की जानकारी हुई, जिसके बाद वादी ने अपने नाम दर्ज आधे हिस्से का विक्रय–पत्र तो रेस्टपोंडेन्ट सं० 5 के हक में निष्पादित कर दिया तथा उसके बाद वादी ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर वादी के हक में किये गये अंकन के बारे मे जानकारी करनें के लिए कहां तो अधिवक्ता ने जानकारी कर बताया कि वादी ने वाद प्रस्तुत कर निर्णय व डिक्री प्राप्त कर अपने नाम हिस्सा 1/2 का अमल करवाया है, उसके बाद अपीलान्ट ने अपने भाई रेस्पोंडेन्ट सं० 1 से सम्पर्क कर बिना बताये निर्णय व डिक्री कराने का उलहाना दिया तो उनके बीच विवाद हो गया और इस विवाद के चलते ही अपीलान्ट को गणेश द्वारा उसके हक मे निष्पादित वसीयत की जानकारी हुई असल वसीयत को वादी रेस्पोंडेन्ट सं० 1 ने अपने पास छुपाकर रख रखा है, जिसकी फोटोप्रति अपीलान्ट को बमुश्किल प्राप्त हुई है जिसकी प्रति अपील के साथ संलग्न है, और उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होते ही अपीलान्ट प्रस्तुत कर देगा। उसके पश्चात् वादी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की प्रति एवं दस्तावेज़ एकत्रित एवं प्राप्त कर जानकारी से यह अपील न्यायालय के समक्ष अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट सं० 1 के हक में पारित निर्णय व डिक्री शून्य है, जिसमें मियाद का बिन्दू गोण है, अगर फिर भी न्यायालय हाजा द्वारा अपील प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब माना जावे तो वह जानकारी का अभाव होने से विलंब क्षमा योग्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादी की तामील नहीं कराई, जिसकी वजह से प्रस्तुत वाद की अपीलांट प्रतिवादी को कोई जानकारी नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी के नाम के जो समन जारी किए गए वह ग्राम चकमियांरामपुरा के है, जबकि अपीलांट प्रतिवादी गत कई वर्षो से मय अपने परिवार के जयपुर में निवास कर रहा है, जिसकी जानकारी वादी को थी, किंतु उसने वाद में प्रतिवादी का गलत पता अंकित कर तामील कुलिन्दा से मिलीभगत कर एवं सांज कर समन की पुस्त पर अपीलांट की पत्नि गीता का फर्जी अंगुठा निशानी अंकित करवाकर न्यायालय हाजा को प्रेषित किया, और न्यायालय हाजा ने भी तामील के विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध बिना तामील के ही एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वाद वादी डिक्री किया गया है। सर्वप्रथम तो अपीलांट की बिना तामील के एकपक्षीय कार्यवाही अमल में नहीं लाई सकती थी, और द्वितीय अगर समन पर परिवार के किसी सदस्य के अंगुठा निशानी अंकित की गई थी, तो अधीनस्थ न्यायालय को इस बात की संतुष्टी करनी चाहिए थी कि तामील कुलिन्दा ने किस कारण की वजह से समन की व्यक्तिगत तामील प्रतिवादी पर क्यों नहीं कराई और पत्नि को समन किस कारण की वजह से दिया गया तामील कुलिन्दा ने जो अंगुठा निशानी अंकित करवाया है उसकी पहचान किसके द्वारा की गई किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सभी प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश पारित कर दिए। विवादित कृषि आराजीयात गणेश की थी और गणेश निर्वसीयतय नहीं मरा था, उसने अपने जीवनकाल में ही अपनी उक्त वर्णित दोनों ग्रामों की कृषि आराजीयात की वसीयत अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के हक में दिनांक 29.5.1982 को तहरीर व तकमील कर उप–पंजीयक अधिकारी टोंक के समक्ष रजिस्टर्ड करवा दी थी, किंतु उसे अपीलांट की माता गलखू ग्राम मियांरामपुरा में स्थित कृषि आराजीयात को जरिए विरासत अपने नाम दर्ज करवा ली तथा चकमियांरामपुरा में स्थित आराजीयात में प्रतिवादी का नाम बतौर दत्तक पुत्र गणेश दर्ज करवा दिया। जबकि गणेश पुत्र धन्ना बैरवा द्वारा वसीयत निष्पादन के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 लागू नहीं होने से वादग्रस्त आराजीयात में गलखू पुत्री गणेश धर्मपत्नि मंगलराम का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा था, और वसीयत के रहते

गलखू के नाम विरासत का किया गया राजस्व रिकार्ड में अमल अवैध व शून्य था और त्रुटिपूर्ण अंकन के आधार पर विवादग्रस्त कृषि आराजीयात को लेकर वादी किसी तरह का कोई वाद लाने का अधिकारी नहीं था अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के हक में निष्पादित वसीयतनामा रजिस्टर्ड था, इस कारण वसीयत को शून्य घोषित कराए बिना वादी किसी तरह का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था, वादी को समस्त तथ्यों की जानकारी थी, उसके बावजूद भी उसने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से फर्जी तामील पर एकपक्षीय कार्यवाही करवाकर निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली। विवादित दोनों ग्रामों की कृषि आराजीयात का खातेदार गणेश पुत्र श्री धन्ना बैरवा था, जिन्होंने अपीलांट प्रतिवादी के हक में दिनांक 29.5.1982 को वसीयत नामे का निष्पादन कर वसीयत रजिस्टर्ड करवा दी थी, जिसके आधार पर गणेश की छोडी गई, समस्त कृषि आराजीयात का वास्तविक रूप से मालिक अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 है, अपीलांट प्रतिवादी के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामा होने से वादग्रस्त आराजीयात में गलखू का व उसकी मृत्यु उपरांत वादी का किसी तरह का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज योग्य है। वैसे भी प्रतिवादी अपीलांट के हक में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत को शून्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत वाद काबिल निरस्तनीय है। हाल ही में अपीलांट अपनी घरेलू आवश्यकता होने की वजह से ग्राम चकमियांरामपुरा की भूमि के बेचान की रजिस्ट्री करने गया तो उसे जमाबंदी की नकल से वादी के नाम के अंकन की जानकारी हुई, जिसके बाद वादी ने अपने नाम दर्ज आधे हिस्से का विक्रय पत्र तो रेस्पोडेंट संख्या 5 के हक में निष्पादित कर दिया तथा उसके बाद वादी ने अधिवक्ता से संपर्क कर वादी के हक में किए गए अंकन के बारे में जानकारी कर बताया कि वादी ने वाद प्रस्तुत कर निर्णय व डिक्री प्राप्त कर अपने नाम हिस्सा 1/2 का अमल करवाया है, जिससे अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई उसके बाद अपीलांट ने अपने भाई रेस्पोडेंट संख्या 1 से संपर्क कर बिना बताए निर्णय व डिक्री कराने का उलहाना दिया तो उनके बीच विवाद हो गया और इस विवाद के चलते ही अपीलांट को गणेश द्वारा उसके हक में निष्पादित वसीयत की जानकारी हुई असल वसीयत को वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने पास छुपाकर रखरखा है, जिसकी फोटोप्रति अपीलांट को बमुश्किल प्राप्त हुई है, जिसकी प्रति अपील के साथ संलग्न है, और उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होते ही अपीलांट प्रस्तुत कर देगा। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम विक्रयपत्र की दिनांक को हुई है उसके पश्चात वादी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की प्रति एवं दस्तावेज एकत्रित एवं प्राप्त कर जानकारी से यह अपील न्यायालय के समक्ष अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा प्रकरण संख्या 79/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वाद पत्र उनवानी प्रहलाद बनाम बदरी वगै० प्रकरण संख्या 79/2020 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 दोनों सगे भाई हैं जो गलखू पुत्री गणेश बैरवा के पुत्र है। दोनों गलखू पुत्री गणेश द्वारा छोडी गई

चल अचल संपत्ति पर बहिस्सा बराबर काबिज चले आ रहे है तथा दोनों का बराबर का हक व हिस्सा हैं। सजरे के अनुसार गणेश के एक बेटी गलखू थी। वर्तमान में गणेश एव गलतू दोनों का देहान्त हो चुका है। गलखू मंगलाराम की पत्नि थी। जिनके पुत्र वादी व प्रतिवादी न 01 है। गणेश की मृत्यु के बाद उसकी भूमि उसकी एक मात्र पुत्री गलखू के नाम अंकित कर दी गई थी। उक्त भूमियों का अंकन जमाबंदी खाता संख्या 11 संवत् 2077–ख0न0 33 रकबा 1.4795 हैक्ट, ख0न0 06 रकबा 0.6575 हैक्ट कुल किता 02 कुल रकबा 2.1370 हैक्ट. वाके ग्राम चकमियारामपुरा पटवार हल्का संदेडा व खाता संख्या 03 संवत् 2077–ख0न0 127 रकबा 0.1770 हैक्ट, ख0न0 144/3 रकबा 0.0379 हैक्ट., ख०न० 146 रकबा 0.6196 हैक्ट ख०न० 171 रकबा 0.5311 हैक्ट, ख0न0 183 रकबा 0.1517 हैक्ट. कुल किता 05 कुल रकबा 1.5173 हैक्ट. वाके ग्राम मियारामपुरा पटवार हल्का काशीपुरा तह० पीपलू जिला टॉक में स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमिया पूर्व में गणेश की खातेदारी में थी जो उसके बाद उसकी पुत्री गलखू के नाम तथा गलखू के बाद उसके दोनों पुत्रों के नाम बहिस्सा बराबर अंकित होनी चाहिए थी परन्तु ग्राम मियारामपुरा कुल किता 05 कुल रकबा 1.1573 हैक्ट. भूमि खातेदारी वर्तमान में गलखू पुत्री गणेश के नाम दर्ज चली आ रही हैं जबकि वह 4–5 साल पहले फौत हो चुकी है। इस भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम बहिस्सा बराबर के रूप में अंकित किये जाने योग्य है। ग्राम चकमियांरामपुरा पटवार हल्का संदेडा में अंकित भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 2.1370 हैक्ट प्रतिवादी न. 01 ने बिना किसी अधिकार, बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश/डिक्री तथा बिना किसी रजिस्टर्ड गोदनामें के अपने आपको अपने नाना गणेश का गोद का बेटा बताकर जमाबंदी में चुपचाप बदरी पि.मु गणेश के रूप में अंकित करवाली जबकि गणेश ने अपने जीवनकाल में कभी भी प्रतिवादी न 01 को अर्थात अपनी बेटी के पुत्र/दौहिते को गोद नहीं लिया था तथा तहत् कानून हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत नाना द्वारा दौहिते को गोद लेने का या दोहिते के नाना के गोद जाने का कोई काननू नहीं है, दोहिता नाना के गोद नहीं जा सकता ऐसी स्थिती में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी गलत है। प्रारम्भतः ही अकृत/गैर कानूनी हैं जबकि इस भूमि में भी वादी का 1/2 हिस्सा है। इस कारण वर्तमान में ग्राम चकमियांरामपुरा व ग्राम मियारामपुरा की दोनो भूमियों में बादी का 1/2 हिस्सा होने से प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने योग्य है तथा जमाबंदीया दुरूस्त करने योग्य हैं। प्रतिवादी संख्या 01 ग्राम चकमियांरामपुरा की भूमियां तनहा उसके नाम होने से तथा ग्राम नियारामपुरा की भूमियां गलखू पुत्री गणेश के नाम होने से उनमें भी वह शीघ्रता से अपना नाम अंकित करवाने वादी को दोनों गांवों की भूमियों के 1/2 हिस्से से वंचित रखने शीघ्रता से राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने, रहन, दान, बेचान करने तथा वादी के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने पर आमादा है। जिसको हमेशा हमेशा के लिए जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक हैं अन्यथा वादी को अपार हानि होगी, आपस में झगडे तथा मुकदमें बाजी बढ़ेगी। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम चकमियांरामपुरा पटवार हल्का सदेडा तह० पीपलू व ग्राम मियांरामपुरा पटवार हल्का काशीपुरा तह० पीपलू में स्थित भूमि ख०न० 33 रकबा 1.4795 हैक्ट, ख0न0 06 रकबा 0.6575 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 2.1370 हैक्ट. तथा ख0न0 127 रकबा 0. 1770 हैक्ट, ख0न0 144/3 रकबा 0.0379 हैक्ट, ख0न0 148 रकबा 0.6196 हैक्ट, ख0न0 171 रकबा 0. 5311 हैक्ट, खाउन० 183 रकबा 0.1517 हैक्ट कुल किता 05 कुल रकबा 1. 5173 हैक्ट में से 1/2 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार

घोषित किया जावें। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इंद्राज तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अंतर्गत धारा 88, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 04.08.2021 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए।

उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त अपील भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के समक्ष प्रस्तुत की गई, परंतु वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा उक्त प्रकरण में मुंतकिली प्रार्थना पत्र विरूद्ध भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में उभयपक्षकारान की बहस को सुनते हुए प्रकरण को दिनांक 10.04.2023 में निर्णित कर उक्त पत्रावली को राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष सुनवाई हेतु ट्रांस्फर की गई तथा दिनांक 19.04.2023 को उभयपक्षकारान को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया गया। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली न्यायालय हाजा अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई व प्रकरण न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.11.2020 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी समन प्रतिवादीगण जारी किए गए। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 16.12.2020 नियत की गई, पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी में नियत रही। दिनांक 08.01.2021 को नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए व प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व प्रकरण का निस्तारण दिनांक 04.08.2021 को किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से यह कथन किया गया है कि उन्हें नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुए हैं व अपीलांट की पत्नि गीता का फर्जी अंगूठा निशानी अंकित कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने तामील मानकर एकपक्षीय रूप से प्रकरण का निस्तारण किया गया। अपीलांट द्वारा यह कथन भी किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी के नाम के जो समन जारी किए गए वह ग्राम चकमियांरामपुरा के है, जबकि अपीलांट/प्रतिवादी गत कई वर्षों से मय अपने परिवार जयपुर में निवास कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत पते पर नोटिस प्रेषित कर उसे तामील मानते हुए प्रकरण में आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को उक्त नोटिस बाबत किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रही है। इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामीली की प्रक्रिया विधिनुसार नहीं की गई है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय को नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील करवाने चाहिए थे जो कि उनके द्वारा नहीं करवाए गए है। क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस पर अपीलांट की पत्नि गीता के अंगूठा निशानी है

परंतु उक्त नोटिस किन दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में तामील करवाया गया इसका कोई प्रमाण नहीं है। इस आधार पर उक्त नोटिस को विधिवत रूप से तामील नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा **सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 5** की विधिवत रूप से पालना नहीं की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2021 में प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित हुई है, अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा प्रकरण संख्या 79/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2021 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण से संबंधित पक्षकारान की विधिवत रूप से तामील सुनिश्चित कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किए जाने के पश्चात प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकीयात का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.09.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर